कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा दोनों ही मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं। असलियत में, वे कई अधिकारों का उल्लंघन हैं और असमानता व व्यवस्थित भेदभाव में गहराई से पैठ जमाए हैं, जो समाज के कुछ खास वर्गों/ समूहों, खास तौर पर हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समुदायों को प्रभावित कर रहे हैं। लिंग आधारित हिंसा के विभिन्न रूप, जैसे कि सामाजिक भेदभाव, हानिकारक सांस्कृतिक प्रथाएं, और हिंसा (पारिवारिक और परिवार के बाहर दोनों) मानव (विशेषकर महिलाओं और बच्चों) की तस्करी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा देते हैं। वैश्विक संकट के रूप में, मानव तस्करी, लिंग आधारित हिंसा का एक बदतर रूप है। हालांकि यह पहचानना लाजमी है कि, हालांकि मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा दोनों बढ़ रहे हैं, मगर इन दो प्रकार के अपराधों को संबोधित करने वाला तंत्र – जैसे, कानून प्रवर्तन और पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं – प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं हैं, जो यह इंगित करता है कि राज्य और गैर–राज्य सेवा वितरण तंत्र में कमी है। भारत, नेपाल और श्रीलंका के इस तीन देशों के शोध अध्ययन का उद्देश्य मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए सेवाएं प्रदान करने में एकीकृत या अलग करने वाली आशाजनक प्रथाओं, कमियों और चुनौतियों की पहचान करना है तथा स्क्रीनिंग व सहायता सेवाओं को अनुकूलित करना है।

भारत के विशाल भूगोल को देखते हुए छह राज्यों दिल्ली, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर को शोध के लिए चुना गया था। प्रत्येक चयनित राज्य को अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि के बतौर माना जा सकता है। चयनित राज्य तस्करी के विभिन्न रूपों का पता लगाने का अवसर भी प्रदान करते हैं, जैसे कि, आंतरिक, अंतरराष्ट्रीय, विदेशी भूमि के लिए पारगमन, अंतरराष्ट्रीय तस्करी के स्रोत, विशेष रूप से श्रम और वाणिज्यिक यौन शोषण, आदि। निष्कर्षों व सिफारिशों तक पहुंचने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों (पुलिस, अभियोजक, न्यायाधीश और सीमा अधिकारी), सेवा प्रदाताओं (आश्रय गृह, गैर सरकारी संगठन और सरकारी अधिकारी), और पीड़ितों (मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा) के साथ कुल 70 प्रमुख सूचनादाता –साक्षात्कार आयोजित किये गये। सेवा प्रदाताओं के साथ एक केंद्रित सामूहिक चर्चा (एफजीडी) आयोजित की गई।

डाटा संग्रहण

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा अपनी 'भारत में अपराध रिपोर्ट्स' में प्रकाशित अपराध के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों की तुलना में नवीनतम रिपोर्टिंग वर्ष (2019) में तस्करी के षिकार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ बचाए गए पीड़ितों की संख्या भी बढ़ी है। फिर भी दोषसिद्धि दर कम है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली में कमी की ओर इशारा करती है। इसी तरह, लिंग आधारित हिंसा के संदर्भ में, जिसे रिपोर्ट में 'महिलाओं के खिलाफ अपराध' शीर्षक के तहत दर्शाया गया है, जिसमें कि (भारतीय दंड संहिता) के तहत महिलाओं के खिलाफ 'पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता', 'शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला', 'महिलाओं का अपहरण और भगा ले जाना' और 'बलात्कार' जैसे दर्ज किए गए अधिकांष मामलों में वृद्धि का रूझान है। हालांकि, सहायक साहित्य की समीक्षा और प्राथमिक हस्तक्षेपों से पता चला कि मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा काफी प्रचलित हैं, और देश में संकट के चरण में, फिर भी, तस्करी के अपराध की गुप्त प्रकृति और व्यापक अज्ञानता, षर्मिन्दगी, रूढ़िवादिता, मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के दोनों अपराधों से जुड़े प्रतिशोध के डर के कारण, ('विशेष रूप से आधिकारिक रिकॉर्ड में') कम रिपोर्टिंग होना बहुत आम है। इसके अलावा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अपर्याप्त प्रतिक्रिया और पुलिस में विश्वास की कमी मामलों को दर्ज कराने में अवरोधक का कार्य करती है। विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आधिकारिक आंकड़ों की मौजूदा कमी को रेखांकित किया गया है। बाद में भारत में तस्करी के लाखों मामले सामने आते हैं, जबकि आधिकारिक आंकड़े हर साल कुछ हजार की रिपोर्ट करते हैं। 'लापता' और 'अपहरण' के मामलों (विशेषकर महिलाओं और बच्चों के) की पहचान करने और उन्हें तस्करी से जोड़ने में भी खामियां नजर आती हैं।

भारत में अपराध रिपोर्ट्स (2017–2019) के अनुसार, महाराष्ट्र में देश के सर्वाधिक मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा मामले हैं, मानव तस्करी की संख्या में उसके बाद दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर और गोवा का नाम आता हैं, जीवीबी की संख्या में महाराष्ट के बाद मध्य प्रदेश, दिल्ली, केरल, गोवा और मणिपुर का नाम है। चयनित राज्यों और देश में मानव तस्करी के प्रमुख रूप हैं – वाणिज्यिक यौन शोषण (सीएसई), जबरन मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, घरेलू दासता, जबरन विवाह, नशीली दवाओं की तस्करी, जबरन भीख मांगना, अंगच्छेदन के लिए मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल पोर्नोग्राफी, जबरन गोद लेने के लिए तस्करी, और बाल सैनिक। वास्तव में, महाराष्ट्र (विशेष रूप से मुंबई) और गोवा घरेलू व अंतरराष्ट्रीय पीड़ितों, दोनों के लिए प्रमुख वैश्विक यौन तस्करी गंतव्य के रूप में उपस्थित हैं, और केरल, मणिपुर व महाराष्ट्र खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और मध्य पूर्वी देशों में अंतरराष्ट्रीय तस्करी का महत्वपूर्ण स्रोत और पारगमन गंतव्य हैं। डेटा से पता चलता है कि महिलाएं व बच्चे अवैध व्यापार के

शिकार लोगों का एक विषम अनुपात बनते है, और लिंग आधारित हिंसा पर आधिकारिक डेटा केवल महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित है। हालाँकि, यह इस तथ्य पर भारी नहीं पड़ता है कि दोनों अपराध अंधाधुंध हैं और उम्र, लिंग, जातीयता, जाति और यौन रूझान की सीमाओं से परे हैं। हालांकि यह सच है कि देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा बहुत बड़ी है और परिमाण और जघन्यता में भिन्न है, फिर भी यह पहचानना अनिवार्य है कि पुरुष और अन्य लिंग भी तस्करी व अंतरंग साथी की हिंसा के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा, ट्रांसजेंडर समुदाय अपनी सामाजिक रूप से निर्दिष्ट 'अपुश्टकारी' पहचान के कारण अत्यधिक हिंसा का सामना करते हैं जो पारिवारिक दुर्व्यवहार से लेकर यौन उत्पीड़न, बलात्कार, यहां तक कि हत्या के विभिन्न रूपों तक होती है। शोध में 2019 में नए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की शुरूआत को छोड़कर, ऐसे मामलों की दुखद रूप से कम रिपोर्टिंग तथा ऐसे मामलों के प्रति लापरवाही व आधिकारिक आंकड़ों व कानूनी ढांचे में उनको स्वीकार किए जाने से संबंधित कमी को पाया गया। यह भारी खामी मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा तथा साक्षात्कारकर्ता हितधारकों के विभिन्न रूपों व बारीकियों को समझने में वैचारिक स्पष्टता की कमी के रूप में नजर आती है। साक्षात्कार किए गए हितधारकों की एक उचित संख्या संयुक्त राष्ट्र तस्करी प्रोटोकॉल (2000) द्वारा प्रदान की गई मानव तस्करी की परिभाषा से अवगत थी और उसने तस्करी के विभिन्न रूपों और बारीकियों के ज्ञान का संकेत दिया था। कुछ हितधारक, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन अधिकारी (एलईओ), तस्करी को व्यावसायिक यौन शोषण या मुख्यतया महिलाओं व लड़कियों की संलिप्तता वाली वेश्यावृत्ति से जोड़ते हैं। अधिकांश साक्षात्कार पीड़ित अवैध व्यापार प्रक्रिया में शामिल गतिविधियों में कुछ समझ प्रदर्शित करते हैं – जैसे कि महिलाओं को खरीदना और बेचना, बल प्रयोग, पीड़ितों से मित्रता करना, झूठे वादे करना और पीड़ितों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना, आदि, हालांकि, उनकी समझ महिलाओं/लड़कियों के व्यावसायिक यौन शोषण के उद्देश्य से मानव तस्करी के प्रति बेहद पक्षपाती है। दूसरी ओर लिंग आधारित हिंसा को मुख्य रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा या घरेलू हिंसा के रूप में समझा जाता है, जिसमें बहुत कम हितधारक इस शब्द की समग्र समझ रखते हैं।

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा की समझ

हालांकि शर्तों को समझने से जुड़ी समस्याएं हैं, मगर उत्तरदाताओं (कानून प्रवर्तन अधिकारियों, गैर–सरकारी संगठनों, आश्रय गृहों, सरकारी अधिकारियों और पीड़ितों) की मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के बीच अंतर–सम्बन्ध के बारे में स्पष्ट समझ थी, और लिंग आधारित हिंसा के कारण मानव तस्करी के प्रति तो कुछ ज्यादा। उत्तरदाताओं ने सामाजिक–आर्थिक कारणों, आकांक्षात्मक प्रवासन, सामाजिक मानदंडों व दबाव, परिवार के भीतर या ज्ञात व्यक्तियों द्वारा शारीरिक और अन्य प्रकार का उत्पीड़न, बाहरी लोगों पर निराधार विश्वास, जबरन या नकली विवाह, विशेष रूप से कम लिंग–अनुपात वाले राज्यों के लिए जबरन विवाह की पहचान की; ये ऐसे कारक हैं जो मानव तस्करी की ओर ले जाते हैं। ये सभी कारक कमजोर लोगों को अवैध व्यापारियों के जाल में फंसने के लिए मजबूर करते हैं, जो फिर आगे हिंसा की ओर ले जाता है। हालांकि, मानव तस्करी की स्थिति में उत्तरदाताओं के बीच लिंग आधारित हिंसा के प्रतिं समझ की कमी प्रतीत होती है। यद्यपि हितधारकों की प्रतिक्रियाएं लगभग समान रूप से विभाजित थीं – एक वर्ग में ज्ञान का प्रदर्शन करने वाले थे और दूसरे वर्ग में मानव तस्करी स्थिति में लिंग आधारित हिंसा की कोई प्रधानता नहीं घोषित करने वाले थे, हालांकि, मानव तस्करी के किसी भी अन्य रूप की तुलना में यौन तस्करी में लिंग आधारित हिंसा की समझ थी, विशेष रूप से एलईओ में। बहुत कम उत्तरदाताओं (ज्यादातर सेवा प्रदाताओं) ने तस्करी –उदाहरण के लिए जबरन या बंधुआ मजदूरी की स्थिति में – के सभी रूपों में लिंग आधारित हिंसा की समग्र समझ प्रस्तुत की।

इसके अलावा, शोध में पाया गया कि मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा की खराब समझ– विशेष रूप से सीमा अधिकारियों के बीच–, मानव तस्करी, मानव स्मगलिंग और विस्थापन की तीन अवधारणाओं की कमजोर समझ तक फैली हुई है। पीड़ितों के प्रकार – यानी, अवैध व्यापार के वास्तविक, संभावित और अनुमानित पीड़ितों के बारे में साक्षात्कार किए गए अधिकांश हितधारकों में समझ का भी अभाव है। यह फिरं स्क्रीनिंग और पहचान प्रक्रिया को प्रभावित करता है, विशेष रूप से सीमाओं पर, क्योंकि तीनों घटनाओं को एक ही मानदंड से मापा जाता है, जिससे सीमाओं को पार करने वाले लोगों को रोकने/हिरासत में लेने में असमान प्रतिक्रिया होती है। इससे गतिशीलता और काम के लिए प्रवास– खास तौर पर महिलाओं के लिए– पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिससे वे अक्सर असुरक्षित वैकल्पिक मार्ग ढूंढती हैं, जिसके कारण वे विदेशी भूमि में तस्करी के लिए संभावित बन जाती हैं।

अन्य कारक जो मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों की स्क्रीनिंग और पहचान के लिए एक निवारक का कार्य करते हैं, वे हैं कानूनी ढांचा, असमान कानून प्रवर्तन, उपयक्त पहचान प्रोटोकॉल की कमी, हितधारकों के बीच समन्वय व सहयोग की कमी, पीड़ितों व स्थानीय समुदाय की ओर से जागरूकता और सहयोग की कमी और पीड़ितों में प्रतिशोध लिए जाने का डर।

कानूनी ढांचे के जरिए वहन की गई सुरक्षा

कानूनी ढांचे के संदर्भ में, भारत ने विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और उपकरणों की पुष्टि की है और/या वह इसका हस्ताक्षरकर्ता है और यहां मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा से संबंधित कई कानून और विधेयक हैं। उनमें से उल्लेखनीय हैं – अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (आईटीपीए), 1956, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम,1976, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, दहेज निषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006।

ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में एक मजबूत कानूनी ढांचे के बावजूद, भारत के कानून में कुछ खामियां हैं जो पीड़ितों के लिए न्याय (अभियोजन, जांच, परीक्षण और दोषसिद्धि) की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। आईटीपीए

1956, जो मानव तस्करी से संबंधित है, देश में मानव तस्करी के अन्य प्रमुख रूपों की उपेक्षा करते हुए केवल सीएसई पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें मानव तस्करी की उचित परिभाषा का भी अभाव है और यह स्वयं–विरोधाभासी है क्योंकि यह वेश्यावृत्ति में फंसी महिलाओं का अपराधीकरण और पुनर्वास दोनों करता है। हालांकि इन कुछ विसंगतियों को आईपीसी में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा संबोधित किया गया है – लेकिन देश में कोई व्यापक रूप से स्पश्ट मानव तस्करी कानून नहीं है। इसी तरह, देश में लिंग आधारित हिंसा मामलों से निपटने के लिए एक समग्र कानून का भी अभाव है। ये सभी एलईओ के बीच अस्पष्टता पैदा करते हैं, जिन्हें हालिया संशोधनों के बारे में अपर्याप्त ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त होता है, और जिनमें मानव तस्करी व लिंग आधारित हिंसा से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले इन मुद्दों से निपटने में कम संवेदनशीलता होती है। इसके अतिरिक्त, एलईओ के बीच 'सहमति'1 शब्द को समझने में भ्रम होता है जो मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों को न्याय प्रदान करने को प्रभावित करता है। कानूनी प्रावधान महिला–केंद्रित हैं, जिसके कारण पुरुष और ट्रांसजेंडर (वयस्क) पीड़ितों के लिए कानूनों व अन्य प्रावधानों में जबरदस्त लिंग भेद होता है, जो प्रतिक्रिया में देश मैं मौजूद सेवा वितरण प्रणाली को भी प्रभावित करता है।

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए सेवा उपलब्धता

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों को सेवाएं प्रदान करने वाले प्रमुख सरकारी हितधारक हैं सरकारी विभाग – (महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी), गृह मंत्रालय (एमएचए), श्रम और रोजगार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय (एमईए), आदि।), विभिन्न आयोग (राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)), कानून प्रवर्तन एजेंसियां (राज्य पुलिस, मानव तस्करी रोधी इकाइयां (एएचटीयू), महिला थाना या महिला पुलिस स्टेशन, विशेष किशोर पुलिस इकाइयां (एसजेपीयू), सीमा रक्षक – सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)/असम राइफल्स/सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) आदि, न्यायपालिका (जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय), सरकारी अभियोजक, बाल कल्याण समितियाँ (सीडब्लूसी), जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ (डीसीपीयू), तस्करी रोधी टास्क फोर्स और नागरिक समाज। प्रभावी सेवा वितरण के लिए सरकारी योजनाएं भी हैं, जैसे – एकीकृत मानव तस्करी रोधी इकाइयां (आईएएचटीयू) योजना, मानव तस्करी पीड़ितों के लिए उज्ज्वला योजना, लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए स्वाधार गृह, और वन–स्टॉप सेंटर स्कीम (ओएससीएस), निर्भया फंड, चाइल्ड लाइन सेवा, महिला हेल्पलाइन योजना, आदि, मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों दोनों के लिए। ये सभी हितधारक रोकथाम, संरक्षण और अभियोजन की दिशा में काम करते हैं। हालांकि, उनकी प्रभावशीलता को मापने के लिए उनकी निगरानी, मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन संबंधित जानकारी में अंतर है। परामर्श और दिशानिर्देश जारी करने के अलावा, ड्रग्स एंड क्राइम संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) के साथ साझेदारी में, सरकार ने मानव तस्करी पर विभिन्न प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी तैयार की हैं। हालांकि, अधिकांश एसओपी और प्रोटोकॉल पुराने हो गए हैं और इस क्षेत्र में शामिल हितधारकों को भी इसकी जानकारी नहीं है।

चुनौतियों के बावजूद, साक्षात्कार में आश्रय गृह के प्रतिनिधियों ने साझा किया कि वे पीड़ितों को विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जिनमें शामिल हैं: आश्रय, मनो–सामाजिक सहायता, शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, जीवन कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा, पहचान दस्तावेज , कानूनी जानकारी और परामर्श, पुनर्वास, और प्रत्यावर्तन। पीड़ितों को पुलिस, समुदाय के शुभचिंतकों, हेल्पलाइन (चाइल्डलाइन और महिला हेल्पलाइन), बाल संरक्षण एजेंसियों, पीड़ितों के परिवार, अदालतों, महिला संगठनों और पंचायत जैसे कई स्रोतों के माध्यम से भेजा गया था, और पीड़ितों को या तो इन–हाउस या कुछ एनजीओ/वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स (ओएससीसी) से जुड़े होने के बाद सेवाएं प्रदान की गईं। ज्यादातर मामलों में, पीड़ित आश्रय गृहों व गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं से संतुष्ट थे, लेकिन उत्तरदाताओं ने पुलिस और अभियोजकों के प्रति अत्यधिक असंतोष व्यक्त किया। असंतोष विशेष रूप से आर्थिक स्वतंत्रता संबंधित पुनर्वास सेवाओं की ओर बढ़ता गया है। साक्षात्कार किए गए लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों में से अधिकांश कानूनी कार्यवाही दर्ज कराने के प्रति अनिच्छुक थे और परिवार का पुनर्वास चाहते थे, जबकि मानव तस्करी पीड़ितों (व्यावसायिक यौन शोषण के) ने या तो आश्रय गृहों में रहना जारी रखा या परिवार द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण अपने परिवारों के साथ या उनके बिना समुदायों में पुनर्वास करना पसंद किया।

पीड़ितों को सेवा प्रदान करना चुनौतियों से भरा हुआ है, कुछ का नाम लें तो अपर्याप्त धन और संसाधनों की कमी के साथ–साथ अन्य बाधाएं, जैसे कि सेवाओं की उपलब्धता में भौगोलिक असमानता (शहरों में सेवाओं की एकाग्रता), विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता की कमी, कानून प्रवर्तन अधिकारियों से अपेक्षानुरूप प्रतिक्रिया न मिलना, पीड़ितों के प्रति पूर्वाग्रह होना, सक्रिय एएचटीयू की कमी, हितधारकों के बीच सहयोग की कमी, लिंग आधारित हिंसा पीड़ित का स्वयं को हिंसा के षिकार के रूप में पहचान न पाना (विशेषकर घरेलू हिंसा के मामलों में), भय, शर्म, कलंक, और विश्वास व परिवारिक सहयोग में कमी। गौरतलब यह कि, कानूनी ढांचे की तरह, सेवाओं तक पहुँचने में लैंगिक असमानता भी स्पष्ट नजर आती है क्योंकि आश्रय गृह और अधिकांश सेवाएँ केवल महिलाओं और बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। बहुत कम एनजीओ और आश्रय गृह प्रतिनिधियों ने लिंग आधारित हिंसा के पीड़ित पुरुष और ट्रांसजेंडर को पारिवारिक परामर्श और मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने का उल्लेख किया।

भावी राह के रूप में सेवाओं का एकीकरण ?

उन बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए जो सेवाओं की सुगम पहुंच और वितरण को नुकसान पहुंचाती हैं, हमने पता लगाया कि क्या मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों दोनों के लिए सेवाओं का एकीकरण या पृथक्करण आगे का रास्ता था। तो इसमें हितधारकों की अलग–अलग राय थी,

जिन्हें तीन प्रमुख समूहों में विभाजित किया जा सकता है – ए) वे लोग, जो मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों की जरूरतों और अनुभवों के बीच समानता को देखते हुए सेवाओं के एकीकरण के पक्ष में थे, बी) कुछ लोगों ने कानूनी सहायता और चिकित्सा सुविधाओं जैसी कुछ सेवाओं के संभावित एकीकरण के साथ, उनकी अलग–अलग जरूरतों और अनुभवों का हवाला देते हुए, मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए सेवाओं को अलग करने की सिफारिश की, और सी) कुछ उत्तरदाताओं ने आसान पहुंच के लिए एक सामान्य स्थान के तहत स्थापित सेवाओं के लिए अलग इकाइयों का सुझाव दिया। यह उल्लेखनीय है कि सभी साक्षात्कार किए गए पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न विभागों को एक सामान्य स्थान पर स्थापित करने का दृढ़ता से सुझाव दिया, जो सेवाओं (मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करना, बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना, चिकित्सा सहायता, आघात–प्रेरित देखभाल/परामर्श, अनुवाद, मुआवजा आदि) के लिए सेवाएं प्रदान कर सकता है। जो मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा दोनों के शिकार लोगों के हित में, बाद की प्रक्रियाओं को पुलिस के लिए आसान बना देगा।

सिफारिशें

पीड़ितों की पहचान और उन्हें सेवा प्रदान करने में सुधार से संबंधित सिफारिशें :

- मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पर व्यापक कानूनों को अपनाकर कानूनी व नीतिगत ढांचे को मजबूत बनाना, आईटीपीए 1956 में संशोधन, मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा मामलों में सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करना, और कानूनों के सख्त कार्यान्वयन को लागू करना।
- हितधारकों के बीच, विशेष रूप से विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच और कई हितधारकों के बीच, समन्वय में सुधार करना।
- सभी संबंधित एजेंसियों के लिए मानव तस्करी के पीड़ितों की जांच और पहचान पर मानकीकृत दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल तैयार करना, और मौजूदा कानूनों व मौजूदा कानूनों में संशोधनों को शामिल करके मानव तस्करी के मामलों की जांच और अभियोजन पर मौजूदा एसओपी और प्रोटोकॉल का उन्नयन।
- छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में, गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में सेवाओं तक पहुंच और उपलब्धता को सुनिश्चित करना, और उन स्थानों पर आश्रयगृह स्थापित करना जहां वे वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हैं तो समस्या के पैमाने के अनुसार समान भौगोलिक वितरण सुनिश्चित हो सके।
- अवैध व्यापार के पीड़ितों की जांच और पहचान तथा आपराधिक न्याय प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए कानून प्रवर्तन की प्रतिक्रियाओं को मजबूत करना।
- आश्रय गृहों में पीड़ितों को पुनर्वास (विशेष रूप से आर्थिक रूप से) के लिए सक्षम बनाने हेतु व्यक्तिगत देखभाल और निकास योजना विकसित करें ताकि पीड़ित अपने परिवार के समर्थन के साथ या उसके बिना भी समुदाय के भीतर खुद को फिर से संगठित करें।
- लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ितों के लिए अलग–अलग आश्रय गृह हों, विशेष रूप से व्यावसायिक यौन शोषण से छुड़ाए गए पीड़ितों के लिए लेकिन एक ही छत के नीचे वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर मॉडल की तरह एक सामान्य स्थान पर सेवाओं को एकीकृत करें।
- लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ितों के लिए संभावित सेवाओं का एकीकरण चिकित्सा और कानूनी सहायता सेवाओं के लिए किया जा सकता है।

इस शोध को यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यहां बताए गए विचार, जानकारियां और निष्कर्ष लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग से मेल खाते हों।